



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02-81/2021
दिनांक : 13.05.2021

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ एकजुट होकर प्रयास करने के संबंध में सुझाए गये उपायों पर चर्चा हेतु दिनांक 12.05.2021 को अधिष्ठाताओं और विभागाध्यक्षों की बैठक संपन्न हुई।

बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में कोविड काल में वांछनीय व्यवहार (COVID appropriate behaviour) के संबंध में विजुअल के साथ वीडियो तैयार करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :

1. प्रो. कृपाशंकर चौबे, अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
2. प्रो. अवधेश कुमार, अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ

यह वीडियो प्रथमतः हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में तैयार किये जायेंगे तत्पश्चात बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी व अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार किए जायेंगे।

समिति की अपेक्षानुरूप माननीय कुलपति की स्वीकृति के पश्चात इस कार्य में सहयोग हेतु अन्य को भी जोड़ा जा सकेगा।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
13/05/21

प्रति (ईमेल द्वारा) : उपर्युक्त सभी संबंधित

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट
5. संबंधित पत्रावली